

I/152512/2022

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या:152512/2022/ 71-1001(001)/12/2021-

लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2022

विज्ञप्ति / नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, कम्युनिटी मेडिसिन विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-82/21/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या-11(1)/03/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 18 जनवरी, 2022 एवं पत्र संख्या-11/03/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 16.12.2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 09 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

(2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जायें आवश्यक होंगे:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।

(2) अभियोजन लम्बित न हों तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न हों अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न हों के संबंध में शपथ पत्र।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न हों के प्रमाण पत्र।

3- अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

#152512/2022 अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
5- अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

Signed by आलोक कुमार

Date: 30-03-2022 15:28:16

Reason: Approved

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या-उपरोक्त तदुद्दिष्ट

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़, कन्नौज, बांदा, अम्बेडकरनगर एवं जालौन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़, कन्नौज, बांदा, अम्बेडकरनगर एवं जालौन।
7. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़, कन्नौज, बांदा, अम्बेडकरनगर एवं जालौन।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. संबंधित चिकित्सा शिक्षकगण।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:एम0ई0-2/2022/669-70

लखनऊ:दिनांक 01 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, आजमगढ़, बांदा एवं जालौन।
2. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षकगण द्वारा प्रधानाचार्य।


महानिदेशक
चिकित्सा शिक्षा

152512/2022

कार्यालय ज्ञाप संख्या:152512/2022/71-1001(001)/12/2021- (जी-103/2018)

लखनऊ: दिनांक मार्च, 2022 का संलग्नक

01अप्रैल

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि०नं०/श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० कृतिका पत्नी श्री अशिताभ तिवारी/53200002712/अना०/महिला	मगध कालोनी रोड़ नं०-5, गया बिहार-823001	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
2	डा० समर्थ गोविल पुत्र श्री अशोक कुमार गोविल/53200032023/अना०	ए०-254 सूर्यनगर, चन्देर नगर, गाजियाबाद, उ०प्र०-201011	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
3	डा० सुमैया अहमद पुत्री श्री आफताब अहमद/53200002721/अना०/ओ०बी०सी०/महिला	107 नीमताल, जलालपुर, अम्बेडकरनगर, उ०प्र०-224149	मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
4	डा० सैफ अनीस पुत्र मो० अनीस/53200018218/अना०/ओ०बी०सी०	132515 बाबू पुरवा, पोस्ट-मुंशीपुरवा, कानपुर अरबन, उ०प्र०-208023	मेडिकल कालेज, कन्नौज
5	डा० अरुणि सम्प्रिया पत्नी डा० आनन्द कुमार गौतम/53200000194/एस०सी०/महिला	फ्लैट नं०-516 टावर-5 जेमिनी पैराडाईज, मुगलहा, मेडिकल कालेज रोड़, गोरखपुर, उ०प्र०-273013	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
6	डा० मो० मारुफ पुत्र मो० मसरूर/53200033873/ओ०बी०सी०	हाउस नं०-480 ग्रीन बिल्डिंग, छावनी, बाँदा, उ०प्र०-210001	मेडिकल कालेज, बाँदा
7	डा० दीप शिखा वर्मा पुत्री श्री जय प्रकाश वर्मा/53200044754/एस०सी०/महिला	834 द्वारिका पुरी, मयूर रोड़, नियर आनन्द मार्ग स्कूल, प्रयागराज, उ०प्र०-211001	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
8	डा० अभिषेक कुमार पुत्र श्री राज किशोर वर्मा/53200004783/ओ०बी०सी०	पता-द्वारा जितेन्द्र सिंह हाउस नं०-06 खुशी अपार्टमेन्ट, ए०बी०नगर, उन्नाव, उ०प्र०-209801	मेडिकल कालेज, जालौन
9	डा० लाल दिवाकर सिंह पुत्र श्री उदय राज सिंह/53500083897/ओ०बी०सी०	पता-470 बी० न्यू सोहबतिया बाग, पोस्ट-दारागंज, प्रयागराज, उ०प्र०-211006	मेडिकल कालेज, बाँदा

(एस०पी० सिंह)
अनु सचिव